

कार्यालय जिला आयुष अधिकारी जिला बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

ई-मेल :- cgayushjagdalpur@gmail.com

दूरभाष एवं फैंक्स क्र. :- 07782-227927

क्रमांक/स्था./2026/1244

जगदलपुर, दिनांक 21/09/2026

//// विज्ञापन ////

जिला खनिज संस्थान न्यास मद जिला बस्तर के आदेश क्रमांक 6170/जि.प./प्रशा0स्वी0/DMFT/2025-26 जगदलपुर दिनांक 22.07.2025 के जिला आयुष कार्यालय अन्तर्गत जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जगदलपुर हेतु मसाजर थैरिपिस्ट पुरुष एवं महिला, एवं स्वीपर पदों पर दैनिक मजदूरी पर 01 वर्ष हेतु बस्तर जिला के अंतर्गत आने वाले योग्य स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2026 को सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	अनुसूचित जनजाति			मानदेय	निर्धारित अर्हता
मसाजर	पु0	म0	योग	10656/-	1-आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2-अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अपंग न हो। 3-पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 से.मी. से कम न हो/महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 152 से.मी.से कम न हो। 4-पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं आयु के समानुपात में शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार होना आवश्यक है।
	01	01	02	एकमुश्त	

नियम एवं शर्तें :-

01. बस्तर जिला के ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.09.2026 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्षों से अधिक न हो, अन्य विशेष वर्गों में अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
02. आयु की पुष्टि हेतु पांचवी/आठवी परीक्षा की अंकसूची स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
03. अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक/पूर्णांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है। तो जिस संस्था /स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड पूर्णांक, प्राप्तांक को प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
04. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये बस्तर जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
05. निर्धारित योग्यता से उच्च योग्यता विचारणीय नहीं होगी।

06. मेरिट सूची का निर्धारण चयन समिति द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।
07. विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग क.एफ-13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.12.2012 का पालन करते हुए तैयार किया गया है।
08. आवेदन में संलग्न समस्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
09. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. विज्ञापित जारी होने के पूर्व का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. आवेदित पद की चयन सूची जारी होने पर यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी गई है अथवा सारभूत जानकारी छिपायी गई है, तो दोषी पाये जाने पर आवेदक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा तथा उसकी उम्मीदवारी/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा।
13. उम्मीदवार का चयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा मापदण्डों के आधार पर आवेदनों की स्कूटनी पश्चात् प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
14. उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
15. विवाहित महिला उम्मीदवारों का नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
16. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा किसी निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
17. उम्मीदवारों द्वारा स्वयं का स्वसत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जावे।
18. आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला आयुष अधिकारी, माड़िया चौक (कुम्हारपारा) जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0) पिन - 494001 में दिनांक 05.10.2020 को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। डाक से विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
19. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
20. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का सम्पूर्ण चयन समिति का होगा।

पृ० क्रमांक / स्था./ 2026 / 1245
प्रतिलिपि:-

जिला आयुष अधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)
जगदलपुर, दिनांक 21/09/ 2026

1. संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़ रायपुर, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1 तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जगदलपुर जिला बस्तर, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी (NIC) जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ कृपया जिले के वेबसाइट में उक्त विज्ञापन को अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जिला बस्तर जगदलपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ
5. कार्यालयीन प्रति।


जिला आयुष अधिकारी
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला आयुष अधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

पासपोर्ट साईज
फोटो
रूप-सत्यापित

- 1- आवेदित पद का नाम :
- 2- विज्ञप्ति क्रमांक व दिनांक :
- 3- आवेदक का नाम :
- 4- पिता/पति का नाम :
- 5- जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में) :
- 6- आयु दिनांक 01.01.2026 वर्ष माह दिन
- 7- राष्ट्रीयता :
- 8- आवेदक की श्रेणी (टिकमार्क करें) - अजजा(), अजा(), अपिब(), अना()
- 9- स्थायी पता :

10- शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत	बोर्ड/संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

- 11- वर्तमान एवं पूर्व में सेवारत होने का विवरण :
- 12- रोजगार कार्यालय का नाम तथा पंजीयन
क्रमांक एवं दिनांक :
- 13- क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं :
- 14- यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :

15- जीवित बच्चों की संख्या

क्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

16- संलग्नों की सूची

- | | |
|----|----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान पूर्व विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्णतः सही है, यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा चयन अथवा नियुक्ति भी निरस्त की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर